भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 283

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े

***283. डॉ. थोल तिरूमावलवन:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के संबंध में अलग-अलग आंकड़े मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की शत-प्रतिशत आर्थिक कार्यकलापों को औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए "औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े" के संबंध में डॉ. थोल तिरूमावलवन द्वारा उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 283 के उत्तर का विवरण।

(क) और (ख): जी हाँ। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस), परिवारों के स्वामित्व वाले अनिगमित उद्यमों (अर्थात्, मालिकाना और साझेदारी उद्यम) के रूप में यथापरिभाषित अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के संबंध में सूचना प्रदान करता है। पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24 के अनुसार, जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान गैर-कृषि क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों में से 73.2 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत थे।

एनएसएसओ द्वारा आयोजित अनिगमित क्षेत्र उद्यमों (एएसयूएसई) का वार्षिक सर्वेक्षण, तीन क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं से संबंधित अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों से संबंधित सर्वेक्षण है। स्वामित्ववार, इस सर्वेक्षण में मालिकाना, साझेदारी (जिसमें सीमित देयता साझेदारी शामिल नहीं है), स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, सोसायटी/न्यास आदि से संबंधित अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठान शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के इस सर्वेक्षण के परिणाम (सर्वेक्षण अवधि: अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023) के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 6.5 करोड़ प्रतिष्ठान हैं, जो लगभग 11 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और प्रत्येक प्रतिष्ठान (बाजार प्रतिष्ठानों हेतु) का वार्षिक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) ₹2,38,168 है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) सार्वजनिक क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र में परिणाम और मूल्य वर्धन के बीच अंतर को दर्शाती है। एनएएस के घरेलू क्षेत्र में कृषि कार्य और परिवारों को सेवा देने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों सहित वे मालिकाना और साझेदारी उद्यम शामिल हैं जो उपयुक्त लेखा नहीं रखते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए एनएएस से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, घरेलू क्षेत्र के पास अपने गैर-कृषि कार्यकलापों के माध्यम से वर्तमान कीमतों पर कुल जीवीए का 26.8 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, घरेलू क्षेत्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से कुल जीवीए में 17.4 प्रतिशत का योगदान दिया है।

(ग) और (घ): आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार को औपचारिक बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) *एमएसएमई के लिए पंजीकरण अभियान:* दिनांक 11 जनवरी 2023 को, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) के माध्यम से एक परियोजना शुरू की गई है, ताकि उन अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को पंजीकरण में सुविधा हो जिनके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है। दिनांक 11 दिसंबर 2024 तक यूएपी में कुल 2.44 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें 2.93 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला है। औपचारिकीकरण का आशय इन्हें पहचान प्रदान करना है, जिससे इसका उपयोग प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लाभों जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सके।

(ii) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में किए गए कर सुधार के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण हुआ है और इसके परिणामस्वरूप सूचना प्रवाह से अंततः अप्रत्यक्ष कर संग्रह और प्रत्यक्ष कर संग्रह दोनों में वृद्धि होगी। सभी प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से डिजिटाइजेशन करने से, जीएसटी के कारण औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन हो रहा है और उन सभी संव्यवहारों को समाप्त किया जा रहा है जो पहले बही-खातों में दर्ज नहीं किए गए थे और अब तक कर के दायरे से बाहर थे। जीएसटी को कर प्रणाली में बेहतर कर अनुपालन और पारदर्शिता लाने के लिए तैयार किया गया है।

(iii) *कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)* के आंकड़ों में मध्यम और बड़े औपचारिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सितंबर 2017 से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान, 7 करोड़ से अधिक सदस्य ईपीएफओ के दायरे में शामिल हुए हैं, जो रोजगार बाजार के औपचारिकीकरण और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की कवरेज की सीमा को दर्शाता है।

(iv) ई-श्रम में अनौपचारिक क्षेत्र का नामांकन: असंगठित श्रमिकों के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) का सृजन करने हेतु दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरूआत की गई थी ताकि असंगठित श्रमिकों को यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करते हुए उन्हें पंजीकृत किया जा सके और सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सामाजिक क्षेत्र योजनाओं तक असंगठित श्रमिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ई-श्रम विकसित किए जाने के बारे में हाल ही में की गई बजट घोषणाओं के ध्येय को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की है। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किए जाने पर बल दिया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्राप्त करने और उन्हें अब तक मिले लाभों को ई-श्रम के माध्यम से देखने में मदद करता है। अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय/विभागों की 12 योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम आवास योजना - शहरी, पीएम आवास योजना - ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आदि शामिल हैं।

दिनांक 11 दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार, 30.46 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं।